(घ) यदि हां, तो वहां सीमेंट फैक्टरी चालू करने में देरी के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के यतवमाल जिले मे सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव के लिये सहमति नहीं दी है ।

(ख) चूंकि सीमेंट उद्योग को अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है, इसलिये सीमेंट का कारखाना लगाने के लिये किसी को भी केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है ।

(ग) इस क्षेत्र में कितना कच्चा माल उजलब्ध हैं इसके बारे मे सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भटनी वाराणसी-अप गाडी में यात्रियों का लूटा जाना

233. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 में भटनी-वाराणसी 71 अप गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे मे यात्रा कर रहे दो यात्रियों के पास जो कुछ था वह सब कुछ पूर्वोत्तर रेलवे के पिपटीदिह स्टेशन के बाहरी उत्तरी सिगनल के निकट लूट लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जी हां ।

(ख) मऊ जंकशन पर सरकारी रेलवे पुलिस चौकी के अधिकारी ने मामले की फौरन छान-बीन करके अपराधियों के गिरोह का पता लगा लिया है । अब तक एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है और आशा है कि शीघ्र ही अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी । मऊ जंकशन की भारतीय रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन अपराध संख्या 3 दर्ज कर लिया है जिसकी जांच पड़ताल हो रही है ।

Truck Collision at Unmanned Level Crossing between Vijapur and Kalvada Railway Stations

234. **SHRI VISHWA NATH PANDEY**: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many persons were seriously injured when the truck in which they were travelling collided with a train at an unmanned level crossing between Vijapur and Gerita-Kalvada Railway Stations (Western Railway) on the 15th January, 1968;

(b) if so, the causes thereof;

(c) the number of persons injured; and

(d) the total loss to the Railway property thereby?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) The accident occurred at the unmanned level crossing No. 47C between Vijapur and Gerita Kolvada stations on the Vijapur-Ampliyasan Metre Guage Branch line section of the Western Railway.

(b) According to the finding of the enquiry committee the accident was due to the truck driver negotiating the level crossing in the face of the approaching train.

(c) In this accident, 14 persons were injured of whom 5 sustained grievous injuries. One of the grievously injured persons subsequently died in the hospital on 21.1.1968 and the others are reported to be progressing satisfactorily.

(d) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 700.